30.5.25

सभापति महोदया कमेटी सदस्यगण उप. / प्रतिनिधि
मा पार्षदा सभा अंतर्गत आज 2:42 PM पर
अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ किया गया है, जिसमें
विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया। सामान्य सभा.
किया गया। सभापति महोदय द्वारा सभी
सदस्य का धन्यवाद ज्ञापन के साथ
समापन हुआ।

निर्णय

बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 23/2015

तारीख दायरा 22.07.2015

उनवान

1. छोटूलाल पुत्र जमनालाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद।
2. लालचन्द पुत्र जमनालाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद।
3. भूलीबाई पुत्री जमनालाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद।
4. तुलसाबाई पुत्री जमनालाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र जमनालाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद।
2. रामभरोसी बाई पत्नि जगदीश जाति धाकड निवासी श्यामपुरा त हसील सांगोद।
3. जगदीश पुत्र जयलाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद।
4. हेमराज पुत्र जगदीश जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील प्रार्थीगण)

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद में खाता सं. नई 312 पुरानी 300 की ख.न. 569 रकबा 1.00 हैक्टर, माल ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद कील खाता सं. नई 240 पुरानी 224 की ख.न. 237 रकबा 1.60 हैक्टर, ख.न. 284 रकबा 1.47 हैक्टर,ख ख.न. 377 रकबा 0.58 हैक्टर, ख.न. 379 रकबा 0.73 हैक्टर, कुल किता 4 रकबा 4.38 हैक्टर एवं माल ग्राम श्यामपुरा मे ही खाता सं. नई 191 पुरानी 179 की ख.न. 12 रकबा 1.80 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 का अन्य सहखातेदारान के साथ 1/4 हिस्सा आराजी निहित है।
- उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 का अन्य सहखातेदारान के साथ अविभाजित 1/4 हिस्सा निहित है जिसे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 अब तक शामलाती रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजीयात का कभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है और ना ही मौके पर विभाजन कर रखा है।
- अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने 1/24 अविभाजित हिस्सा आराजी को 2 वर्ष के लिए अपने भाई छोटूलाल प्रार्थी सं. 1 को मुनाफा काश्त पर जुताई के लिए दे रखा है जिसकी वर्ष 2014–15 व 2015–16 कृषि वर्ष की आपने अविभाजित हिस्से की जुपाई के 40000 रूपये प्राप्त कर इकरारनामा रूबरू गवाहान दिनांक 20.06.2014 नोटरी सत्यापित करवा कर कब्जा संभला रखा है।
- इस वर्ष प्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी सं. 1 एवं प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी माल ग्राम श्यामपुरा, नाहरिया की अविभाजित 1/4 हिस्सा आराजी में सोयाबीन की फसल माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाई है, फसल आराजीयात में खडी है।
- अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से माल ग्राम श्यामपुरा एवं नाहरिया कर विवादित आराजी में अपने निहित 1/24 हिस्से को अप्रार्थी सं. 2 को बेचान कर दिया है। अप्रार्थी सं. 2 ग्राम के लडाकू उदण्ड झगडालू परिवार का सदस्य है जिसका ग्राम श्यामपुरा व आस पास के ग्रामों में आतंक रहा है। अप्रर्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 22.6.2015 को आप्रार्थी सं. 2 को आराजी विक्रय करने के बाद से ही अप्रार्थीया का पति अप्रार्थी सं. 3 व अप्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थी सं. 4 प्रार्थीगण को धमकियां दे रहे हैं कि हम जबरन

Scanned with OKEN Scanner

बिना विधिवत विभाजन कराये ही 1/12 हिस्सा आराजी पर जबरन काश्त करेगें तथा आज से 8 रोज पहले दिनांक 08.07.2015 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सं. 1 को सरे आम रोक कर कहा कि तुम लोग वादग्रस्त आराजी में तुम्हारे 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा आराजी छोड देना व उसकी फसल को हम ही काटेगें। अप्रार्थीगण ने कहा कि आपने 1/24 हिस्सा आराजी खरीदी है, आप 1/24 हिस्सा आराजी का न्यायालय से विभाजन की डिक्री प्राप्त कर काश्त कर लेना। इस वर्ष तो आप द्वारा खरीदी गई आराजी को मैने एक वर्ष पूर्व से ही मुनाफ काश्त पर ले रखी है तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हम तो ताकत के बल पर जबरन 1/12 हिस्सा आराजी पर कब्जा करेगें। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद में खाता सं. नई 312 पुरानी 300 की ख.न. 569 रकबा 1.00 हैक्टर, माल ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद कील खाता सं. नई 240 पुरानी 224 की ख.न. 237 रकबा 1.60 हैक्टर, ख.न. 284 रकबा 1.47 हैक्टर,ख ख.न. 377 रकबा 0.58 हैक्टर, ख.न. 379 रकबा 0.73 हैक्टर, कुल किता 4 रकबा 4.38 हैक्टर एवं माल ग्राम श्यामपुरा मे ही खाता सं. नई 191 पुरानी 179 की ख.न. 12 रकबा 1.80 हैक्टर आराजी में अप्रार्थीगण 1 ता 4 एवं अप्रार्थी सं. 1 के शामलाती खाते की अविभाजित 1/4 हिस्से आराजी में बिना विधिक विभाजन करवाये अप्रार्थीगण 2 ता 4 एवं उनके नौकर व ऐजेन्ट जबरन ताकत के बल पर किसी प्रकार से मदाखलत मजामहत नहीं करे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण द्वारा बोई गई सोयाबीन की फसल पर जबरन कब्जा नहीं करें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित फरमाई जावे।

- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थन पत्र में वर्णित तथ्यों पर आपत्ति जाहिर करते हुए अंकित किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 नन्दकिशोर एवं अन्य सहखातेदार सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल धाकड, हीरालाल पुत्र नाथूलाल, नोसरबाई पुत्री जगन्नाथ के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम नाहरिया में ख.न. 569 की 1.00 हैक्टर,

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम श्यामपुरा में प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 नन्दकिशोर उपरोक्त सहखातेदार के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की कुल 6 किता की 4.40 हैक्टर आराजी स्थित है तथा श्यामपुरा की ख.न. 12 की 1.80 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा निहित होने से अप्रार्थी सं. 1 उक्त वर्णित आराजीयात में निहित उसके हिस्से की आराजी जो अप्रार्थी सं. 1 के खाते एवं कब्जे काश्त की है, को दिनांक 22.06.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अप्रार्थी सं. 2 रामभरोसी बाई को विक्रय कर दिया है तथा मौके पर कब्जा भी संभला दिया है। तब से अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी पर रामभरोसी बाई काबिज होकर काश्त करवाती चली आ रही है।

- विक्रय के उपरान्त प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार के कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विक्रय की गई आराजीयात से किसी प्रकार बेदखल करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।
- उक्त वर्णित आराजी सम्मिलित खाते की है जिस पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है। फिर भी प्रार्थीगण ने उक्त आराजी के खातेदार सत्यनारायण, हीरालाल, नोसरबाई को पक्षकार नहीं बनाया है। कानूनन प्रत्येक खातेदार को वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।
- प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिस जोइंडर ऑफ पार्टी का होने के कारण न्यायालय से किसी प्रकार की सहायत के पात्र नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है।
- प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज अनस्टाम्प एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। स्वयं ही उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में किसी सहायत के पात्र नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

- इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा इकरार नामा दिनांक 20.06.2014 प्रस्तुत किया गया जो रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने से न्यायालय में पठनीय नहीं है। उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है इकरार की अवधि वर्ष 2014–15, 2015–16 थी जो वर्तमान में प्रभावी नहीं है। वर्तमान स्थिति के संबंध में पत्रावली पर ऐसा काई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्सा आराजी के संबंध में अनुतोष प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा दोनों पक्षों द्वारा आराजी स्वयं के कब्जे काश्त की जाहिर की गई है। प्रार्थी द्वारा कब्जे बाबत कोई भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे सिद्ध हो सके कि वह

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने के कारण न्यायालय में पठनीय योग्य प्रतीत नहीं होता है। कब्जे का निर्धारण मूल वाद में मौका रिपोर्ट, साक्ष्य आदि लिया जाकर ही संभव है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.1 द्वारा स्वयं के हिस्से की आराजी अप्रार्थी सं. को रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से बेचान की गई है। मुनाफा काश्त के इकरार की मियाद कृषि सत्र 2014–2016 तक थी जो वर्तमान में प्रभावी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि वर्तमान में भी प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को मुनाफा काश्त पर लिया गया है जिससे उसकी मुनाफा काश्त की राशि का नुकसान अप्रार्थीगण द्वारा कारित किया जा रहा हो। ऐसी स्थित में प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

–: निष्कर्ष :–

अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान सरकार एवं अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रकरण मिस जोइंडर ऑफ पार्टी का होना बताया गया है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाए जाने संबंधित तथ्य का निर्धारण मूल वाद में किया जाना न्यायोचित होगा। वर्तमान में केवल इतना देखना है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से इकरार नामे के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजी मुनाफा काश्त पर लेना व्यक्त किया गया है। इसके उपरान्त इकरारनामे की मियाद पूर्ण होने से पूर्व ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा स्वयं के हिस्से की आराजी का बेचान अप्रार्थी सं. 2 को कर दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हो न्यायालय में पठनीय योग्य नहीं पाया गया है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी शामलाती खाते की आराजी है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सहखातेदारान के विरूद्ध अस्थाई स्थगन नहीं दिया जा सकता है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रहे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner